

राजस्थान सरकार  
जल संसाधन विभाग


कमांक प. 03(01)ज0सं0/2021

जयपुर, दिनांक 30 MAR 2021

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी आदेश की प्रथम एवं द्वितीय पंक्ति में "प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति संस्थापन अधिकारी के पद पर तथा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी" के स्थान पर "कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल-डिप्लोमा) के पद से सहायक अभियन्ता (सिविल-डिप्लोमा)" पढ़ा जावे।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार शर्मा)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर।
3. संबंधित अधिकारी मार्फत मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज0 जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द मीणा)  
अनुभागाधिकारीAPB  
30/3/21

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ(1)स्थाना/अनिस/अअप्रास/मुअजसं/2021/28

दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार के संशोधित आदेश क्रमांक प.03(01)ज0सं0/2021 दिनांक 30.03.2021 की प्रति निम्नलिखित को भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति संबंधित कार्यालयों/अधिकारियों को अपने स्तर पर उपलब्ध कराते हुये पालना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें:-

1. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता (पूर्व), सीएडी, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, जयपुर।
4. उप निदेशक, (एम आई एस) एस. पी. एम. यू. एन एच पी, जयपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन), कार्यालय हाजा।
6. अधिशाषी अभियन्ता (प्रथम)/(एम-द्वितीय), कार्यालय हाजा।
7. संस्थापन अधिकारी, स्थापन अनुभाग-प्रथम/गोपनीय अनुभाग, कार्यालय हाजा।
8. श्री शिव कुमार गर्ग/श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता।
9. रक्षित पत्रावली।

(जितेन्द्र दीक्षित)

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा0 सहा0  
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग  
राजस्थान, जयपुर।